संख्या- 4/989/26-3-2014

प्रेषक,

राम गोपाल मौर्य,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 24 जून, 2014

विषयः- कुम्हार जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में मानते हुए अनुमन्य आवश्यक लाभ प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में योजित रिट याचिका सं0-2080/2011 स्टेट आफ यू0पी0 बनाम विजय शंकर एवं अन्य में दिनांक 23-12-2011 में पारित निर्णय जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"In the instant case, the Tribunal has examined the National Citizen Register, wherein it was shown that opposite party's parents names were mentioned as Sri Laxmi Narian, Son of Mata Prasad and mother Smt. Suraj Mani, wife of Laxmi Narian and they were categorized as 'Shilpkar', which admittedly belongs to scheduled caste. The Tribunal also observed that 'kasera' is a sub caste of 'Shilpkar' as per Government order. dated 12-12-1950. In fact, there are 26 sub castes of 'Shilpkar' and 'kasera' is on of them. Thus 'kasera' being a sub caste of 'Shilpkar' comes under the category of scheduled caste. When it is so, then we find no reason to interfere with the impugned order passed by the Tribunal and the same is hereby sustained along with the reasons mentioned therein."

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में शासनादेश संख्या-87/26-3-2014-3(15)/2007 दिनांक 18-1-2014 द्वारा शिल्पकार जाति की उपजातियों में सम्मिलित 'कुम्हार'

http://shasanadesh.up.nic.in

जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में मानते हुए उन्हें अनुमन्य आवश्यक लाभ प्रदान करने का निर्देश निर्गत किया गया है।

3- मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की पूर्ण पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या-35775/2013 स्वरूप चन्द सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में दिनांक 29-5-2014 को यह निर्णय पारित किया गया कि रिट याचिका संख्या-2080/2011 में स्टेट आफ यू0पी0 बनाम श्री विजय शंकर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23-12-2011 को लॉ फुल (विधिक रूप से सही) नही माना है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29-5-2014 का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

On the aforesaid discussion, we also answer the question No.2 in negative, and hold that the judgment dated 23.12.2011, rendered by the Lucknow Bench of the Court in State of Vs. Vijay Shankar and another – Writ Petition (Service Bench) No. 2080 of 2011, is not correct in law.

4- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 29-5-2014 के अनुपालन में रिट याचिका संख्या-2080/2011 में स्टेट आफ यू0पी0 बनाम श्री विजय शंकर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23-12-2011 के परिप्रेक्ष्य में निर्गत शासनादेश संख्या-87/26-3-2014-3(15)/2007 दिनांक 18-1-2014 को एतदद्वारा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(राम गोपाल मौर्य)
विशेष सचिव

संख्या- 989(1)/26-3-2014, तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राम गोपाल मौर्य)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in